



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1937 (श10)  
(सं0 पटना 594) पटना, सोमवार, 25 मई 2015

सं0 डी0टी0डी0 / डी02-04 / 2010—850

उद्योग विभाग

संकल्प

21 मई 2015

विषय:— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका-2(V)(क) में संशोधन।

राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका-2(V)(क) के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियाँ तुरत के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया है:—

“उक्त समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 के प्रभावी तिथि 01.07.2011 से विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का भी लोड अवधारण करेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सं0 डी0टी0डी0 / डी02-04 / 2010—849

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

RESOLUTION

The 21st may 2015

**Sub:—Amendment in para-2(v)(a) of the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 (as amended from time to time).**

The State Government of Bihar has hereby decided to add the following lines at the end of para-2(v)(a) of the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 (as amended from time to time) with immediate effect:-

“The committee will determine the load of industrial units producing from D.G. Set/Captive Power Generation without taking electric connection from 01.07.2011, the effective date of the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 also”

By order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible,

*Principal Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 594-571+500-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**